बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A041-20222023-41-1002-001-14-2023

विषय:- मद संख्या-27-जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801044300 (अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,00,00,000 रुपये एक अरब मात्र	81,63,18,402 रुपये इक्यासी करोड़ त्रेसठ लाख अठारह हजार चार सौ दो मात्र	20,00,00,000 रुपये बीस करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	95,00,00,000 रुपये पंचानबे करोड़ मात्र	2022-2023
044	5452801044600 (वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	94,31,00,000 रुपये चौरानवे करोड़ इकतीस लाख मात्र	51,47,16,688 रुपये इक्यावन करोड़ सैंतालीस लाख सोलह हजार छह सौ अट्ठासी मात्र	15,00,00,000 रुपये पंद्रह करोड़ मात्र	5,00,00,000 रुपये पांच करोड़ मात्र	89,31,00,000 रुपये नवासी करोड़ इकतीस लाख मात्र	2022-2023
कुल					₹ 35,00,00,000	₹ 10,00,00,000		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
044	5452801042700 (जनपद मिर्जापुर में विन्धवासनी देवी धाम में पर्यटन विकास)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	50,00,00,000 रुपये पचास करोड़ मात्र	35,00,00,000 रुपये पैंतीस करोड़ मात्र	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	60,00,00,000 रुपये साठ करोड़ मात्र	2022-2023
कुल				₹ 35,00,00,000	₹ 10,00,00,000		

नोट-1- जनपद वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण के मद संख्या-46 के अन्तर्गत रू0 10000.00 लाख में से रू0 3908.88 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है एवं इस मद में रू0 1500.00 लाख की बचत सम्भावित है तथा अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं का विकस एवं सौन्दर्यीकरण के मद संख्या 43 के अन्तर्गत रू0 10000.00 लाख में से रू0 1836.82 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है एवं इस मद में रू0 2000.00 लाख की बचत सम्भावित है।

2- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मद संख्या-27-जनपद मिर्जापुर में विन्ध्यवासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास मद में प्राविधानित धनराशि रू0 5000.00 लाख का पूर्ण उपभोग कर लिया गया है जिसके फलस्वरूप क्रियान्वित योजना हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150,151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

4- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

5- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

6- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- पुनर्विनियोग के माध्यम से निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में नियम तिथि के पूर्व शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8- व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का महालेखाकार, प्रयागराज से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

संख्या:RE-budget-1-364-E-7-321-X-2022-23-दिनांक:20-02-2023

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव),
अनु सचिव।

(आलोक दीक्षित)
विशेष सचिव।

संख्या 136/2023/आई/281732/41-1002-001-14-2023 दिनांक 28 फरवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. उप निदेशक, पर्यटन, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
8. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in